# संसद के समक्ष अभिभाषण – 24 फरवरी 1992

| | | |
|---|---|---|
| लोक सभा | – | दसवीं लोक सभा |
| सत्र | – | वर्ष का पहला सत्र |
| भारत के राष्ट्रपति | – | श्री आर. वेंकटरमन |
| भारत के उपराष्ट्रपति | – | डॉ. शंकर दयाल शर्मा |
| भारत के प्रधानमंत्री | – | श्री पी.वी. नरसिंह राव |
| लोक सभा अध्यक्ष | – | श्री शिवराज वि. पाटील |

माननीय सदस्यगण,

वर्ष 1992 में संसद के इस प्रथम अधिवेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपके सामने जो बजट और विधान कार्य हैं, उनको सफलता के साथ पूरा करने के लिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं पंजाब से आये नये सदस्यों का विशेष रूप से स्वागत करता हूं।

सरकार ने आश्वासन दिया था कि फरवरी, 1992 में पंजाब में चुनाव कराए जाएंगे। कई गम्भीर समस्याओं के बावजूद इस आश्वासन को पूरा किया गया है। सदस्यगण इस बात से अवगत हैं कि पिछले दशक से पंजाब राज्य आतंकवादी हिंसा का सामना करता रहा है और कई निर्दोष जानें गई हैं। पंजाब की बहादुर जनता ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया तथा धर्मनिरपेक्षता एवं राष्ट्रीयता के स्थायी मूल्यों में अपनी आस्था को पुनः व्यक्त करने में जिस साहस का परिचय दिया है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। सरकार पंजाब में सभी अनसुलझे मसलों का उचित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए वचनबद्ध है। राजीव-लोंगोवाल समझौता इस दिशा में एक कदम था। निर्वाचित प्रतिनिधियों की उपस्थिति से अर्थपूर्ण वार्ता और इस प्रक्रिया में राज्य के सभी वर्गों की भागीदारी के लिए बल मिलेगा।

कश्मीर में आतंकवादियों को सहायता और हथियार देने तथा संभार-तंत्र का समर्थन देने में सीमापार के बलों का शामिल होना अब एक सर्वविदित तथ्य है। पाकिस्तान ने भारत को बदनाम करने तथा आतंकवाद को वह जो प्रच्छन्न-अप्रच्छन्न रूप से समर्थन दे रहा है उससे संसार का ध्यान हटाने के लिए व्यापक रूप से गलत

और झूठे प्रचार का अभियान चलाया है। आतंकवादी कार्रवाई से अनेक निर्दोष लोगों की जानें गयी हैं। दो वर्ष से भी अधिक समय से इस राज्य का सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। कुछ लोगों को जबरन राज्य से भागना पड़ा है और बाहर शरण लेनी पड़ी है। इसमें संदेह नहीं कि जिन लोगों ने स्थान बदला है उनकी जरूरतों पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, किन्तु समस्या का समाधान इस बात में है कि वे अपने घर लौट जाएं जहां सुरक्षित रूप से फिर बस सकें।

सरकार ने सेना की मदद से आतंकवादियों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई शुरू की है। इस बात के सभी प्रयास किये जा रहे हैं कि सीमा पर घुसपैठ रोकी जाए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के उग्रवादियों ने हाल में नियंत्रण रेखा पार करने के जो व्यापक प्रयास किए उससे उस क्षेत्र में शांति को भारी खतरा उत्पन्न हुआ। देर से ही सही, पाकिस्तान द्वारा की गई जमीनी कार्रवाई और मेरी सरकार द्वारा किये गये राजनयिक प्रयासों से इस गम्भीर खतरे का मुकाबला करने में सफलता मिली। कुछ आतंकवादी ग्रुपों ने अपने हथियारों के साथ समर्पण किया है। विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श हुए हैं जिससे कि जनता के साथ एक अर्थपूर्ण पारस्परिक क्रियाकलाप में तेजी लाई जा सके। साथ ही, मेरी सरकार ने राज्य में आर्थिक विकास की गति बढ़ाने तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के अपने प्रयासों को जारी रखा है। राज्य स्तर पर एक सलाहकार परिषद् का भी गठन किया गया है। सरकार सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कोई भी बातचीत करने के लिए इच्छुक है जो संविधान के ढांचे के भीतर हो।

सितंबर, 1991 से देश के पूर्वी भाग असम में शांति और सामान्य स्थिति फिर से बहाल करने के लिए सेना तैनात करनी पड़ी थी। सुरक्षा बलों ने अनेक उल्फा उग्रवादियों को पकड़ा है और उनके हथियार जब्त किये हैं। कुछ उग्रवादियों ने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण भी किया है। उल्फा ने बंदी बनाये गये सभी व्यक्तियों को मुक्त कर दिया है तथा अपने आंदोलन को रोकने की एकतरफा घोषणा कर दी है। उल्फा ने संविधान के ढांचे के तहत असम समस्या के सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए सरकार के साथ बातचीत करने की इच्छा जाहिर की है। उल्फा के साथ बातचीत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए असम में फिलहाल सेना की कार्रवाई रोक दी गई है।

राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से उत्पन्न स्थिति पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। सरकार ने 15 अगस्त, 1947 को विद्यमान अन्य पूजा स्थलों की यथास्थिति बनाये रखने के लिए कानून बनाया है। साम्प्रदायिक हिंसा से प्रभावित हुए परिवारों के बच्चों की देखभाल के लिए साम्प्रदायिक सौहार्द प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए भी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। मेरी सरकार की एक वचनबद्धता थी साम्प्रदायिक दंगों को दबाने के लिए एक संयुक्त त्वरित कार्रवाई बल का गठन करना। इस संबंध में सभी आवश्यक निर्णय ले लिये गये हैं। इस बल की स्थापना कर दी गई है।

आपको याद होगा कि पिछले अधिवेशन में संसद ने कानून बनाकर संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली के लिए विधान सभा और मंत्रिपरिषद् की स्थापना हेतु जनता द्वारा काफी समय से की जा रही मांग को पूरा किया है। सरकार ने चुनाव शीघ्र करवाने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की कार्रवाई आरंभ कर दी है।

मैंने अपने पहले अभिभाषण में देश को विकट आर्थिक स्थिति के संदर्भ में कठोर निर्णय लिए जाने की बात कही थी। सरकार ने इस संकट को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई आरम्भ कर दी है। भुगतान संतुलन की समस्या को सफलतापूर्वक निपटाया गया है। इस समय हमारी विदेशी मुद्रा का आरक्षित कोष 10,000 करोड़ रुपये से अधिक है। हमने बंधक रखे गए सोने को छुड़ा लिया है तथा पूंजी के देश से बाहर जाने पर रोक लगाने में भी सफलता प्राप्त कर ली है। अन्तर्राष्ट्रीय साख पुनः स्थापित की जा रही है। साथ ही, मेरी सरकार ने अधिक उत्पादकता तथा विकास के लिए अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन की कार्रवाई आरम्भ कर दी है। औद्योगिक, राजकोषीय और व्यापार नीतियों में परिवर्तन लाए गये हैं। परिवर्तन की यह प्रक्रिया जारी रहेगी और अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी यह प्रक्रिया लागू करनी होगी।

नई औद्योगिक नीति का लक्ष्य पिछले दशक के लाभों को समेकित करना तथा भारतीय उद्योग की क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए नए प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस नीति से महत्वपूर्ण परिणाम मिलने शुरू हो गये हैं। नीति में परिवर्तन की घोषणा के बाद गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निवेश प्रस्तावों की संख्या दुगुनी हो गई है। विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग को स्वीकृति दिए जाने में भी यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है। औद्योगिक नीति में किए गए परिवर्तनों के साथ-साथ लघु क्षेत्र के उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए एक नीति पैकेज की घोषणा की गई है। लघु तथा छोटे उद्योग, रोजगार प्रदान करने तथा औद्योगिक उत्पादन में योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। औद्योगिक नीति में किए गए परिवर्तनों से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में राज्य सरकारों को मुख्य भूमिका निभानी है। केन्द्र सरकार उनसे सहयोग करती रहेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उदारीकृत नीति का लाभ सम्पूर्ण देश को मिल सके।

हम निर्यात पर अधिक जोर देते हैं। लगभग 20 प्रतिशत अपरिहार्य आयात दबाव के बावजूद, सामान्य मुद्रा क्षेत्र के देशों को किए गए निर्यात में डालर के रूप में 6 प्रतिशत की साधारण वृद्धि हुई है। फिर भी, उन क्षेत्रों में जहां भुगतान रुपये में होता है, निर्यात पर बाहरी बाधाओं के कारण संपूर्ण निर्यात वृद्धि प्रभावित हुई है। भूतपूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों के साथ व्यापार पुनः आरम्भ करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उन सब के साथ ढांचागत करार किए जा रहे हैं।

नई नीतियों के परिणामस्वरूप वर्तमान ढांचे में किए जाने वाले परिवर्तनों से जो कामगार प्रभावित होंगे उनके हितों की रक्षा करने की आवश्यकता के प्रति सरकार पूरी तरह सजग है। पुनः प्रशिक्षण और पुनः नियोजन के कार्यक्रम आरम्भ किये जाएंगे,

जिसके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था की जाएगी। भारत की शक्ति उसके कामगार वर्ग में निहित है। श्रमिकों पर नई औद्योगिक नीति के प्रभाव की जांच करने और श्रमिकों से संबंधित समस्याओं के संबंध में समय-समय पर सिफारिशें करने के लिए एक स्थायी त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक आयोग ने पिछली जुलाई में अपनी सिफारिश प्रस्तुत की है और रोजगार के अवसरों के सृजन, सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान, विद्यमान कानूनों के सुदृढ़ीकरण और नए विधान तैयार करने के माध्यम से ग्रामीण कामगारों की स्थिति में सुधार करने के लिए कई सिफारिशें की हैं। सरकार इन सिफारिशों का अध्ययन कर रही है।

कीमतों में हो रही वृद्धि गंभीर चिंता का विषय है। मुद्रास्फीति काफी हद तक राजकोषीय घाटे के कारण हो रही है। एक बार यदि राजकोषीय घाटा कम हो जाए और उस पर काबू पा लिया जाए तो आशा है कि मुद्रास्फीति कम होकर समुचित स्तर तक आ जाएगी। जमाखोरी को रोकने के उपाय और गोदामों से अधिक खाद्यान्न निकालने जैसे अन्य संभव प्रशासनिक कदम उठाये गये हैं। अगस्त, 1991 में मुद्रास्फीति की दर 16 प्रतिशत से अधिक थी जो घटकर इस समय 12 प्रतिशत रह गयी है। मेरी सरकार कीमतों पर नियंत्रण रखेगी और उन्हें और कम करने के उपाय करेगी।

हाल ही में किये गये आर्थिक नीति संबंधी परिवर्तन आठवीं योजना का आधार होंगे और आठवीं योजना की विकास दर का लक्ष्य 5.6% रखा गया है। विकास के इस लक्ष्य को 400,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित कुल परिव्यय से पूरा किया जायेगा। योजना का प्रमुख उद्देश्य अधिक रोजगार पैदा करना होगा। योजना की अन्य प्राथमिकतायें हैं–निरक्षरता का उन्मूलन करना, प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक बनाना और पीने का पानी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। इस बात पर बल दिया जाएगा कि उसमें अधिक से अधिक लोग शामिल हो सकें और गरीब से गरीब तथा सर्वाधिक जरूरतमंद वर्गों को ये सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। आठवीं योजना में इसके बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद् की हाल में हुई बैठक में आठवीं योजना के नीतिगत दृष्टिकोण का राज्यों द्वारा पहले ही समर्थन किया जा चुका है और सरकार को विश्वास है कि हमारी अर्थव्यवस्था जल्दी ही विकास की दिशा में जीवन क्षम और स्थिर हो जाएगी।

बिजली, कोयला, इस्पात एवं सीमेंट जैसे अनेक महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में विकास दर उत्साहवर्धक रही है। सरकार बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए वचनबद्ध है। बिजली की पूर्ति बढ़ाने और उसे अधिक स्थिर बनाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। आणविक ऊर्जा एवं गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। देश के विकास के लिए प्रभावी संचार प्रणाली के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा। रेलवे नेटवर्क की क्षमता और परिवहन क्षमता में वृद्धि करने का पूरा-पूरा प्रयास किया जाएगा। नई नौ-परिवहन नीति आरंभ की जा रही है। इंडियन एअरलाइन्स और

एअर इंडिया के ढांचे में भारी परिवर्तन करने का विचार है जिसमें वायुयानों का आधुनिकीकरण और सहायक सुविधाएं शामिल होंगी। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों मे दूर संचार सेवाओं के नेटवर्क का पर्याप्त विस्तार किया जाएगा।

हमारे देश ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो प्रगति की है वह गर्व का विषय है। उदाहरणार्थ इनसेट-2 उपग्रह का देश में स्वदेशी निर्माण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है। इनसेट-2ए को अगले महीने छोड़े जाने की संभावना है। अगले एक वर्ष में उपग्रह प्रक्षेपण यान के योजनाबद्ध प्रक्षेपण के साथ ही भारत उन इने-गिने देशों की श्रेणी में आ जाएगा जिनके पास अपनी प्रक्षेपण क्षमता है। बायोटेक्नोलॉजी की असीमित क्षमता का पूरा लाभ उठाया जाएगा जो कृषि, मत्स्य पालन और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक है। इलेक्ट्रॉनिकी की क्षमताओं को और बढ़ाया जाएगा ताकि इससे हमारे देश की जनता को सुनिश्चित लाभ हो सके। वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा होने वाले लाभों का एक अन्य उदाहरण है नई गर्भ निरोधक गोली का तैयार किया जाना। इन्हें अंततः सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंचाने के साथ-साथ, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान को हमारी जनता के जीवन स्तर से इस प्रकार पूर्णतः संबद्ध किया जाना चाहिए जिससे कि उसमें सुधार हो सके।

हर दृष्टि से प्रगति में तेजी लाने के लिए भी पर्यावरण के प्रति सभी को अर्थात् सरकार, उद्योग और जनता को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इस लक्ष्य को सामान्य नियामक उपायों के साथ-साथ वित्तीय प्रोत्साहन और प्रतिबंध की योजना द्वारा प्राप्त किया जाएगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपभोग के अधिकार के साथ-साथ भागीदारी आधार पर अवक्रमित वनों में वृक्षारोपण में जनजातियों और ग्रामीण निर्धनों को सहबद्ध करने की योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। 1985 में चलाए गए परती भूमि विकास कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जाएगा और देश में 50 जिलों में सूक्ष्म जल विभाजकों के समन्वित विकास का कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है। गंगा नदी स्वच्छ करते समय प्राप्त अनुभव से मेरी सरकार का यह प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के अंतर्गत इस नदी की मुख्य सहायक नदियों और अन्य बड़ी नदियों के समग्र रूप से प्रदूषित नालों को साफ करने का काम हाथ में लिया जाए। भारत पर्यावरण और विकास के संबंध में होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है और यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेगा कि इस सम्मेलन में विकासशील देशों के हितों की सुरक्षा की जाए।

विश्व की सर्वाधिक दुःखद औद्योगिक घटना 2 दिसम्बर, 1984 को भोपाल में हुई। इस दुःखद घटना के परिणामस्वरूप हजारों लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। भारत सरकार ने इस दुर्घटना से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने और उन्हें राहत प्रदान करने की स्वयं जिम्मेदारी ली है। 3 अक्तूबर, 1991 को उच्चतम न्यायालय के निर्देश से कानूनी कार्रवाइयां पूरी कर दी गई हैं। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दुर्घटना का शिकार हुए लोगों को अधिक से अधिक राहत दी जाए।

पर्यटन का क्षेत्र सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाले ऐसे क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आया है जो कई लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। सरकार ने, राज्य सरकारों, ट्रैवल ट्रेड और होटल उद्योग के सहयोग से, पर्यटन के विकास को बढ़ाने के लिए जोरदार प्रयास किये हैं। इसके परिणाम मिलने आरम्भ हो गये हैं तथा पर्यटकों के आने में वृद्धि हुई है। दिसम्बर, 1991 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक रही है। मेरी सरकार की पर्यटक कार्य योजना में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में पर्यटक सुविधाएं मुहैया कराना, उदार चार्टर नीति तथा समन्वित विकास के लिए विशेष पर्यटक केन्द्र स्थापित करना और घरेलू और कम बजट के पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देते हुए चुनिंदा गन्तव्य स्थलों पर व्यापक विपणन सुविधा प्रदान करना शामिल है। हमारे लोगों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे अपने देश को बेहतर ढंग से जान सकें तथा समझ सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार युवा पर्यटन पर ध्यान केन्द्रित करेगी।

भविष्य में हमारी सुरक्षा और प्रगति का आधार काफी हद तक कृषि के विकास पर निर्भर करता है। कृषि, जिसमें खाद्य उपज, बागवानी, मत्स्य उद्योग, पशु प्रजनन तथा मुर्गी पालन शामिल है, के क्षेत्र में हमने जो तेज प्रगति की है, उसका श्रेय हमारी अनुसंधान प्रयोगशालाओं में हुई प्रगति को है, किन्तु इस प्रगति की कहानी अन्य सभी बातों के अतिरिक्त भारतीय किसान के जीवन तथा उसके धैर्य और दृढ़ निश्चय की भी कहानी है। 1990-91 का वर्ष लगातार ऐसा तीसरा कृषि वर्ष रहा, जब खाद्यान्न उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। वर्ष 1991-92 के दौरान दक्षिण-पश्चिमी मानसून का रुख अल्पकालिक और स्थानिक स्वरूप का रहा है, जिसके कारण उत्पादन में कुछ गिरावट आने की आशंका है। हालांकि हमारे अनुसंधानकर्ता अब ऐसी तकनीक तैयार कर रहे हैं जिससे कि मौसम की अनिश्चितता का प्रतिकार हो सके, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में भूमि सुधार और उत्पादकता में वृद्धि के लिए आगे और अधिक प्रयास करने होंगे क्योंकि भारत की कृषि का 70 प्रतिशत भाग वर्षा के जल से सिंचित खेती पर आधारित है। मेरी सरकार ने फसल के उन्नत तरीकों, विनाशकारी कीटों पर कारगर नियंत्रण, मिट्टी के कटाव को रोकने तथा स्थानीय नमी को सुरक्षित रखने जैसे उपायों के माध्यम से वर्षा सिंचित भूमि उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए पहले ही बहुत से कार्यक्रम शुरू किए हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, बागवानी, पशुपालन, पशुधन विकास और कृषि प्रसंस्करण के कार्य को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। भेड़ पालन, मुर्गी पालन और सूअर पालन के क्षेत्र में सहकारी और अनुसंधान प्रयासों को और तेज किया जाएगा। इनमें तथा अन्य क्षेत्रों में प्रसंस्करण और विपणन सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की आय में वृद्धि के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया जा सके। तिलहनों, दालों और अनाजों की उत्पादकता बढ़ाने और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार उत्पन्न करने और कृषि के विविधीकरण के लिए अनुसंधान पर बल दिया जाएगा।

हाल ही में, राज्यों के बीच जल के बंटवारे से जुड़े सवालों के कारण क्षोभ और तनाव उत्पन्न होते रहे हैं। यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रकृति के इस बहुमूल्य उपहार, जल का बंटवारा व्यापक राष्ट्रीय हित में न्यायसंगत रूप में हो। जल एक प्रवाहशील तत्व है, इसकी मात्रा एक वर्ष से दूसरे वर्ष में तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में घटती-बढ़ती रहती है। इसकी व्यवस्था, इससे संबंधित क्षेत्रों के बीच परस्पर समझदारी और सहयोग की भावना से सौहार्दपूर्ण ढंग से की जानी चाहिए। नदियों को विवाद का विषय होने की अपेक्षा विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने वाली शक्ति होना चाहिए। किसी भी अंतर-राज्यीय नदी के पानी को प्रयोग में लाने से संबंधित सभी विवादों को बातचीत के जरिए हल करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो सरकार इस उद्देश्य के लिए विधि द्वारा स्थापित अधिनिर्णयन कार्य-प्रणाली के माध्यम से इन विवादों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करेगी।

सबसे अधिक कमजोर वर्गों के लिए, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना के जरिए रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करने हेतु प्रभावकारी उपाय किए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए रोजगार अवसर बढ़ाने के विशेष प्रयास किए जाएंगे। लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी क्योंकि इस पर उनका स्वास्थ्य निर्भर करता है। पेयजल की समस्या वाले सभी गावों को, जिनकी पहचान कर ली गई है, 1992-93 के अंत तक पेयजल साधन उपलब्ध करा दिया जाएगा। सुदूर गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने को श्री राजीव गांधी की वचनबद्धता का सम्मान करते हुए, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेयजल संबंधी टेक्नोलॉजी मिशन को, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन का नया नाम दिया है। इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार लाकर ग्रामीण आवास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए वचनबद्ध है ताकि लोगों को प्रभावी राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो सके। इस संबंध में सितम्बर, 1991 में लोक सभा में एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया है।

शहरी क्षेत्रों में भी गरीबी कम भयानक नहीं है। शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने तथा गरीबी उन्मूलन संबंधी योजनाएं जारी रहेंगी। जल्दी ही एक नई राष्ट्रीय आवास नीति प्रस्तुत की जाने वाली है। इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य भवन निर्माण संबंधी क्रिया-कलापों के लिए समुचित वातावरण तैयार करना होगा और जनता को, विशेषत: कमजोर वर्गों को सहायता देनी होगी ताकि वे अपने लिए विकसित भूमि, भवन निर्माण सामग्री, वित्त व्यवस्था और प्रौद्योगिकी की पहुंच के माध्यम से उचित मूल्य पर घर प्राप्त कर सकें। सरकार समयबद्ध कार्यक्रम के तहत कम लागत वाली सफाई योजना चलाकर मानव द्वारा मैला ढोने की अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है। देश के 740 से भी अधिक कस्बों में शुष्क शौचालयों को कम लागत वाली सफाई यूनिटों में बदलने की योजना पहले ही अनुमोदित कर दी गई है। मैला ढोने वाले लोगों

के पुनर्वास का काम भी किया जा रहा है। सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 252 के अधीन ऐसा कानून बनाने का निर्णय लिया है जिसके अधीन मानव द्वारा मैला ढोने की प्रथा को अपराध माना जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करने के उद्देश्य से लोक सभा में एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया है ताकि इनसे लोगों को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं प्राप्त हो सकें।

मेरी सरकार अनुसूचित जातियों/जनजातियों की समस्याओं के प्रति अत्यधिक जागरूक है। अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों पर बार-बार हो रही अत्याचार की घटनाओं को ध्यान में रखकर अक्तूबर, 1991 में मुख्य मंत्रियों के एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया ताकि इस समस्या के समाधान पर राज्य सरकारों द्वारा विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता पर उनका ध्यान केन्द्रित किया जा सके। राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई कि वे तनाव बहुल क्षेत्रों का पता लगाएं और उनसे निपटने के लिए विशेष प्रशासनिक कदम उठाएं। अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को नौकरियों के अवसर प्रदान करने के संदर्भ में सरकार, सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों में उनके अनुपात को बढ़ाने के उपाय करती रही है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस समय तीसरा विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। पिछले साल के मेरे अभिभाषण में किए गए वायदे के अनुसरण में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये की प्राधिकृत प्रदत्त पूंजी वाले एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम का गठन किया गया है।

मैंने अपने पिछले अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएंगे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं और लोक सेवाओं में नियोजन और विकास योजनाओं से होने वाले लाभ के मामले में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसे नया रूप दिया जा रहा है।

मेरी सरकार ने भारतीय पुनर्वास परिषद् को सांविधिक दर्जा दिए जाने का निर्णय किया है। यह परिषद् अपंगों के पुनर्वास के लिए जनशक्ति प्रशिक्षण का मानदण्ड स्थापित करती है। सरकार ने मंदबुद्धि तथा मस्तिष्क पक्षाघात वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास का गठन करने के लिए कानून बनाने का भी निर्णय लिया है।

सरकार महिलाओं और बच्चों, जो हमारे समाज के अति संवेदनशील वर्ग हैं, की आवश्यकताओं को उच्च प्राथमिकता देगी। सरकार आठवीं योजना के दौरान समेकित बाल विकास योजना संबंधी कार्यक्रम को व्यापक बनाएगी ताकि इसमें समस्त देश को

शामिल किया जा सके। बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिसमें उनके पोषण, स्वास्थ्य और शैक्षिक जरूरतों पर हमारा ध्यान केन्द्रित होगा। सरकार भलीभांति जानती है कि महिलाओं का केवल विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक संरक्षण ही पर्याप्त नहीं है। महिलाओं की समानता के प्रश्न का अन्ततः उत्तर यह है कि उनके सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए उनको संगठित किया जाए जिससे उन्हें अधिकार मिलें तथा उनके लिए अच्छी आय और स्वरोजगार के अवसरों का सृजन किया जा सके। अतः सरकार इंदिरा महिला योजना को कार्यान्वित करेगी। इसी उद्देश्य के लिए सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की है।

सरकार यह सुनिश्चित करने को उच्च प्राथमिकता देती है कि लोगों को अपनी आधारभूत दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में किसी भी प्रकार की अनिश्चितता न बनी रहे। इसके लिए सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के लिए सभी प्रयास करेगी। सरकारी नीति का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर वितरण प्रणाली के संबंध में सचेत रहना और उसका पर्यवेक्षण करना होगा जिसमें इन दायित्वों को पूरा करने के लिए स्थानीय रूप से पहल करनी होगी और विशेष रूप से महिलाओं को यह काम सौंपना होगा ताकि इस व्यवस्था में पाई जाने वाली कमियों और गलत तरीकों के खिलाफ संघर्ष किया जा सके। पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यपालन में सुधार लाने का प्रयास करते समय देश के दूर-दराज के क्षेत्रों और अधिक पिछड़े क्षेत्रों के लगभग 1700 ब्लॉकों में इस नई नीति सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी जो कि समन्वित जनजातीय विकास परियोजनाएं, सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, निर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्र और शहरी गंदी बस्ती योजना के अंतर्गत आते हैं। उचित दर की दुकानों को आवश्यक वस्तुओं की सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे और क्रेडिट सुविधाओं में सुधार किया जाएगा और उन्हें सुदृढ़ किया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को और व्यापक बनाया जाएगा। राज्य सरकारों के घनिष्ठ सहयोग से इस दिशा में पहले ही उपाय शुरू किए जा चुके हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ सख्ती से लागू किया जा रहा है ताकि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाई जा सके और बनाई रखी जा सके और यह अभियान जारी रहेगा। मेरी सरकार एक नए सामाजिक विकास के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का आधार मानती है। जवाहर रोजगार योजना और समेकित बाल विकास सेवा योजना जैसे अन्य कार्यक्रमों के साथ समुचित तालमेल रखा जाएगा। उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा तथा संवर्धन के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। इस समय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन देश में 28 राज्य आयोग और 360 जिला फोरम कार्य कर रहे हैं। मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया गया है कि शेष राज्य आयोगों और जिला फोरम की भी स्थापना करें और यह सुनिश्चित

करें कि वे प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं। जिला फोरम में अभी तक दायर की गई 33,851 शिकायतों में से 82 प्रतिशत शिकायतों का निर्णय उपभोक्ताओं के पक्ष में किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन किए जाने के संबंध में सुझाव देने के लिए गठित उच्च अधिकार प्राप्त दल की रिपोर्ट हाल ही में सरकार को प्राप्त हुई। इस समय इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित संशोधनों के संबंध में इस कार्यदल की सिफारिशों पर शीघ्र ही केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् में विचार किया जाएगा।

सरकार मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, अंधता नियंत्रण और एड्स नियंत्रण कार्यक्रम सहित 14 राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू कर रही है। हर वर्ष कालाजार की सूचना मिल रही है और हाल ही में इसने बिहार में महामारी का रूप धारण कर लिया है। इसको युद्ध स्तर पर नियंत्रित करने की आवश्यकता है। एड्स की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ रक्त सुरक्षा की जटिल समस्या को ध्यान में रखते हुए इस खतरे का मुकाबला करने के लिए पहले ही कार्यक्रम तैयार कर लिया है। कुष्ठ रोग की वर्तमान दरों में अत्यधिक कमी हुई है और रोगियों को इससे मुक्ति दिलाने में सुधार हुआ है। जिला और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर नेत्र चिकित्सा सुविधाओं को स्थायी रूप से उन्नत करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है। टीका निवार्य रोगों में सामान्यतया कमी आयी है। पोलियो के रोग में भी उल्लेखनीय कमी हुई है। काली खांसी और डिप्थीरिया के रोगों में भी अत्यन्त कमी आयी है।

जिस दर से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उससे हमारे संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा। मेरी सरकार ने जन्म-दर में भारी कमी लाने के लिए हाल के महीनों में समन्वित और व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। इस उद्देश्य के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है जिसमें गुणवत्ता में सुधार लाने और सेवाओं को बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया है। अब यह साबित हो गया है कि जिन क्षेत्रों में साक्षर महिलायें कम हैं, विवाह के समय लड़कियों की उम्र कम है और नवजात शिशु तथा प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु दर अधिक है वहां जन्म दर ऊंची बनी हुई है। इस कार्य योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में विशेष प्रयास किये जाएंगे। देश के उन 90 जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिनमें प्रति हजार जन्म-दर 39 से भी अधिक है। राज्यों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रियों की बैठक में और राष्ट्रीय विकास परिषद् में इस कार्य योजना की समीक्षा की गई और इसका समर्थन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने इस कार्य योजना के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में मुख्य मंत्रियों की एक उपसमिति भी गठित की है जो सभी उपायों के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगी। जनसंख्या की समस्या केवल केन्द्र और राज्य सरकारों की ही चिन्ता का विषय नहीं है। चुने हुए

प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संगठनों, आम जनता के अन्य नेताओं–वास्तव में हम सभी अर्थात् समाज के सभी वर्गों के लोगों को इन प्रयासों में भाग लेना होगा। इस विषय पर राष्ट्रीय सहमति आज की सबसे बड़ी जरूरत है और संसद को इस मामले में प्रमुख भूमिका निभानी होगी।

संसद ने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पारित की थी और उसके तुरंत बाद ही इसे लागू कर दिया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में हुए कई विकासों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए यह जरूरत महसूस की गई कि शिक्षा नीति में संशोधन करने की आवश्यकता की जांच की जाए। जांच प्रक्रिया पर शीघ्र ही अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा और मुझे विश्वास है कि इस नीति की अनिश्चितता अब समाप्त हो जाएगी, जिसमें मुख्यत: 1986 की शिक्षा नीति पर बल दिया जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को, जिसे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने मई, 1988 में शुरू किया था, महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। वास्तव में आप सबके साथ मुझे भी इस बात का गर्व है कि केरल और पांडिचेरी* के सभी जिलों और अन्य कई राज्यों ने निरक्षरता उन्मूलन में सफलता प्राप्त कर ली है। देश के लगभग 70 जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान चलाये जा रहे हैं। इन जिलों के इन अभियानों में विभिन्न आयु वर्गों के लगभग 3 करोड़ निरक्षरों को शामिल किया जाएगा और इन पर 210 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ये अभियान स्वयंसेवी एजेंसियों के सक्रिय सहयोग और समर्थन से चलाये जा रहे हैं। परन्तु इस दिशा में हमें अभी बहुत काम करना है और हमें यह संकल्प लेना है कि हम आठवीं योजना के अंत तक देश के सभी भागों को, विशेषकर 15 से 35 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोगों को साक्षर बनाने का महान और चुनौती पूर्ण कार्य पूरा कर लेंगे। इसके साथ ही हमें प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने की दिशा में भी कार्य करना है, जो सबकी पहुंच में हो, जिसमें सबकी सहभागिता हो और न्यूनतम स्तर तक सबको सुलभ हो। प्राथमिक शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था को केन्द्र द्वारा प्रायोजित ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्कीम द्वारा सुदृढ़ बनाया गया है। यह स्कीम आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए तैयार की गई है। देश के कुल 5.7 लाख स्कूलों में से 3.8 लाख स्कूलों को इसमें पहले ही शामिल कर लिया गया है। 70,000 से अधिक अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त किये गए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा 620 करोड़ रुपए की सहायता पहले ही दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जो बच्चे स्कूल की औपचारिक सुविधाओं का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं हैं उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा 2.45 लाख अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाए जा रहे हैं। अन्य 27 हजार केन्द्र 410 स्वयंसेवी एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। इन प्रयासों के लिए 208 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई है। हमारे लिए यह भी आवश्यक है कि डिग्रियों को नौकरियों से कारगर रूप में अलग रखा जाए और सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली को कार्य तथा व्यवसाय प्रधान बनाया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के अधीन केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान की

*अब पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है।

स्थापना करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। यह संस्थान व्यावसायिक शिक्षा को सक्रिय प्रोत्साहन देगा। तकनीकी शिक्षा के सुधार पर निरन्तर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता तो स्पष्ट ही है। यह आवश्यक है कि शिक्षण एवं अनुसंधान के कार्य के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाए और उत्कृष्टता के मानदण्ड स्थापित करने वाली संस्थाओं की संख्या में वृद्धि की जाए।

पिछले वर्ष जुलाई में जब मैंने संसद में अभिभाषण किया था उसके बाद विश्व में घटनायें बड़ी तेजी से बदल रही हैं। बीच का यह समय भारत की विदेश नीति के लिए अत्यधिक व्यस्ततापूर्ण रहा है।

सरकार की विदेश नीति की प्राथमिकताएं भारत की एकता और प्रादेशिक अखंडता बनाये रखना है, ताकि हम अपने क्षेत्र में स्थिरता और शांति का स्थायी वातावरण तैयार करके अपनी भौगोलिक और राजनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें और विदेशों में स्वस्थ आर्थिक वातावरण बना करके अपनी जनता के आर्थिक कल्याण के अनुकूल एक संरचना का निर्माण कर सकें। प्राथमिकताओं की केवल इस संपूर्ण संरचना में हम नि:संदेह न केवल अपनी भौगोलिक स्थिति के प्रति सचेत हैं बल्कि हम यह भी भली भांति जानते हैं कि हमारा भाग्य एशिया, विशेष रूप से दक्षिण एशिया पर निर्भर करता है। भारत में बहुत पहले 1947 में ही आयोजित किया गया प्रथम एशियाई-संबंध-सम्मेलन इस तथ्य का प्रमाण है कि यह आरम्भ से ही स्वतंत्र भारत की विदेश नीति का आधार स्तंभ रहा है। भारत की नीतियां इस प्रकार बनाई गई हैं कि वे पुनरुत्थानशील एशिया के अनुकूल हों, क्योंकि हमें आशा है कि 21वीं शताब्दी एशिया की शताब्दी होगी।

अपने पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय आधार पर तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन के माध्यम से संबंध को सुदृढ़ करने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। हमें आशा है कि पिछले दिसम्बर में कोलम्बो में बुलाये गये दक्षेस शिखर सम्मेलन से दक्षेस के ढांचे के अंतर्गत आने वाले दक्षिण एशियाई देशों में और आर्थिक सहयोग बढ़ेगा।

नेपाल के प्रधान मंत्री की हाल की यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों के एक गुणात्मक नये युग का सूत्रपात हुआ है। इसके परिणामस्वरूप सहयोग के महत्वपूर्ण द्वार खुलेंगे जो हमारे उन संबंधों की अभूतपूर्व निकटता को मजबूती प्रदान करेंगे जो नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र का आविर्भाव होने से सुदृढ़ हुए हैं।

चीन के प्रधान मंत्री की हाल की यात्रा हमारे संबंधों को और विकसित करने के मार्ग में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है। हमने उच्चतम स्तर पर द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के संबंध में विचारों के आदान-प्रदान के द्वारा अपनी आपसी समझबूझ को बढ़ाया है।

हम बांग्लादेश में लोकतंत्र के आविर्भाव के कारण बदले हुए परिप्रेक्ष्य में, दोनों देशों के बीच और अधिक संबंध हो जाने के परिणामस्वरूप बांग्लादेश के साथ पारम्परिक मैत्री संबंधों के और अधिक विस्तार के लिए उत्सुक हैं।

हम श्रीलंका के साथ दोनों देशों के बीच पारम्परिक और ऐतिहासिक संबंधों को बनाये रखते हुए, द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ और गहरे बनाने के लिए वचनबद्ध हैं। श्रीलंका सरकार से प्राप्त आश्वासन के आधार पर श्रीलंका के शरणार्थियों की स्वैच्छिक स्वदेश वापसी 20 जनवरी, 1992 से शुरू हो गई है और यह वापसी जारी है।

मालदीव के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध 1991 के दौरान दोनों देशों के बीच उच्च स्तर पर हुई अनेक यात्राओं के कारण और अधिक सुदृढ़ हुए हैं।

समय-समय पर होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के फलस्वरूप भूटान के साथ हमारे उत्कृष्ट संबंधों में निकट की समझदारी और सहयोग को बनाये रखने और सुदृढ़ करने में सहायता मिली है।

पाकिस्तान द्वारा भारत के प्रति नकारात्मक रुख अपनाना और पंजाब तथा जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को सहयोग देना, संबंधों को सामान्य बनाने में प्रमुख बाधा बनी हुई है। पाकिस्तान को उसकी हरकतों से उत्पन्न होने वाले उन खतरों से बार-बार आगाह किया गया है जिन्हें वह शिमला समझौते और पूरी दुनिया द्वारा स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय आचरण के उल्लंघन द्वारा कर रहा है। हमने इसके बावजूद विश्वास बनाने की प्रक्रिया और द्विपक्षीय वार्तालाप को आगे बढ़ाने के प्रयास जारी रखे हैं। दुर्भाग्यवश, हाल ही में पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान नेशनल असेम्बली ने ऐसे बयान दिये हैं और ऐसे कार्य किये हैं जिनसे माहौल दूषित हो गया है। हमें आशा है कि पाकिस्तान सरकार दोनों देशों के बीच तनाव मुक्त और अच्छे पड़ोसी संबंध स्थापित करने के हमारे महत्वपूर्ण प्रयासों में सहयोग करेगी।

26 दिसम्बर, 1991 को हमने रूसी संघ और भूतपूर्व सोवियत संघ के अन्य सभी गणराज्यों को औपचारिक मान्यता प्रदान करने की घोषणा की। रूस को एक उत्तराधिकारी राज्य का दर्जा मिला है और उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भूतपूर्व सोवियत संघ का स्थान ले लिया है। हमने न केवल रूस के साथ बल्कि अन्य गणराज्यों के साथ भी अपने परम्परागत निकटवर्ती सम्बंधों को बरकरार रखने की कोशिश की है। मास्को में अपने दूतावास के साथ-साथ उक्रेन, कजाकिस्तान और बेलारूस में भी दूतावास खोलने और उजबेकिस्तान के तासकंद में अपने महावाणिज्य दूत का दर्जा बढ़ाने की हमारी योजना है। इन स्वतंत्र गणराज्यों के साथ राजनीतिक सम्बंधों को नया स्वरूप देने और उनके साथ अपने लम्बे समय से चले आ रहे व्यापार और आर्थिक सम्बन्धों को बनाये रखने के लिए उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने रूस और उक्रेन की यात्रा की। मध्य एशियाई गणराज्यों के अनेक नेताओं ने भारत की यात्रा की है और अगले कुछ महीनों के दौरान और यात्रा करने की संभावना है। इन यात्राओं के दौरान हम अपनी ऐतिहासिक मित्रता वाले इन देशों के साथ अपने राजनीतिक,

आर्थिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों को बढ़ाने के लिए उचित करारों को अंतिम रूप देना चाहेंगे।

लोकतंत्र, वैयक्तिक स्वतंत्रता के मूल्यों और मानव अधिकारों के प्रति सम्मान के संबंध में अमेरिका के साथ हमारी वैचारिक समानता, विश्व के इन दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच निकट सहयोग का एक सशक्त आधार प्रदान करती है। द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय दोनों ही मंचों पर हमारे व्यापक विचार-विमर्श में शांति, सुरक्षा और आतंकवाद एवं नशीली दवाओं के अवैध व्यापार से उत्पन्न होने वाले खतरों सहित कई अन्य मामले भी शामिल हैं। अमरीका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख स्रोत है। वह अस्थायी आर्थिक समस्याओं पर काबू पाने के हमारे प्रयासों और आर्थिक सुधार के लिए एक व्यापक कार्यक्रम चलाने में हमारा समर्थन करता रहा है। हम अमेरिका के साथ एक दीर्घकालीन और पारस्परिक लाभ की आर्थिक साझेदारी की आशा करते हैं। प्रधान मंत्री ने हाल ही में न्यूयार्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की बैठक के दौरान राष्ट्रपति जार्ज बुश के साथ एक उपयोगी बैठक की। इस बैठक में हमारे द्विपक्षीय और बहुआयामी सम्बन्धों को और सुदृढ़ करने और आगे बढ़ाने में गहरी आपसी दिलचस्पी दिखाई गई।

पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के देशों के साथ हम अपने संबंधों को विशेष महत्व देते हैं। हम अरब के हित, विशेष रूप से फिलिस्तीनियों के न्यायिक और अविच्छेद्य अधिकारों के संघर्ष को वर्षों से निरन्तर एवं स्पष्ट समर्थन देते रहे हैं। भारत ने पश्चिमी एशिया की शांति प्रक्रिया को फिर से बहाल करने तथा अरब राज्यों और इजराइल के बीच अरब-इजराइली विवादों के न्यायसंगत एवं उचित समाधान ढूंढ़ने के लिए बातचीत जारी रखने का स्वागत किया है।

इस क्षेत्र में बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का निर्णय लिया है। हम इजराइल के साथ व्यापक और बहुआयामी संबंध स्थापित करना चाहते हैं।

दक्षिण अफ्रीका में उपनिवेश विरोधी संघर्ष में हमारे अनुकूल और प्रभावी समर्थन के कारण दक्षिण अफ्रीकी देशों में भारत की अच्छी साख बनी है। हमें गर्व है कि दक्षिण अफ्रीका के रंग-भेद के विरुद्ध मुक्ति संघर्ष के कारण 1990 से वहां ठोस सुधार हुए हैं।

कम्बोडिया संघर्ष को सुलझाने के प्रयासों में हमने उत्प्रेरक भूमिका निभाई है। शांति प्रक्रिया को सुसाध्य बनाने के संबंध में कम्बोडिया पर हुए पेरिस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अन्य देशों के साथ-साथ भारत का भी विशेष उल्लेख किया गया।

हमने 1987 से संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिजी के मामले को उठा कर और राष्ट्रमंडल में फिजी के पुनः प्रवेश का विरोध करके फिजी में जातीय भेदभाव स्थापित करने के प्रयासों के प्रति अपना विरोध प्रकट किया है।

इस समय विश्व में आर्थिक महाशक्ति के रूप में जापान की स्थिति परस्पर संबंध के व्यापक मामलों में जापान के साथ हमारे द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। हमारा विश्वास है कि यह शांति एवं प्रगति का एक महत्वपूर्ण कारक है।

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से हमारे पुराने सांस्कृतिक और द्विपक्षीय संबंध रहे हैं। यह वह क्षेत्र है जिसने बहुत ही कम समय में तेजी से प्रगति की है। मेरी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से इस क्षेत्र के साथ हमारे पारस्परिक आर्थिक क्रियाकलाप को सुदृढ़ करने के नए अवसर उत्पन्न होंगे। मेरी सरकार "एसियान" और इसके सदस्य देशों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ बनाने को प्राथमिकता देती है। हमें आशा है, "एसियान" के साथ हमारी क्षेत्रीय वार्ता जल्दी शुरू होगी।

पिछले दिसम्बर में मास्ट्रिच शिखर सम्मेलन के बाद आधुनिक विश्व में एक सुदृढ़ राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के रूप में यूरोप का प्रादुर्भाव एक महत्वपूर्ण घटना है। यूरोपीय समुदाय व्यापार में हमारा मुख्य भागीदार, और निवेश का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और हम अपना सहयोग और अधिक बढ़ाने तथा सुदृढ़ करने के इच्छुक हैं। हमारे प्रधान मंत्री का सबसे पहला विदेशी दौरा जर्मनी का था, जहां उन्होंने जर्मनी के नेताओं से दोनों देशों के पारस्परिक महत्व और सहयोग के अनेक विषयों पर विचार-विमर्श किया। हमने यूनाईटेड किंगडम, फ्रांस और पुर्तगाल जैसे अन्य प्रमुख यूरोपीय देशों के साथ भी उपयोगी वार्ता की।

शीत युद्ध के अंत में हुई घटनाओं और उससे संबंधित मुद्दों के कारण हुए आमूल परिवर्तनों से यह निश्चित है कि यह नया स्वरूप संघर्ष विरोधी संदर्भ और व्यवस्था की संरचना में उत्तरी-दक्षिणी देशों के संबंध एक नया रूप धारण करेंगे। विश्व के विकासशील देशों को अपने आपको विकास की इस नई गति के अनुकूल बनाना होगा जिसका उद्देश्य सम्पूर्ण विश्व में समान समृद्धि प्राप्त करना होगा। खुशहाल एवं संतुष्ट मानव जाति के इस स्वप्न को साकार करने में विश्व-शांति और व्यापक निरस्त्रीकरण का महत्वपूर्ण योगदान होगा। भारत इस स्वप्न को साकार करने का भरसक प्रयास करेगा।

इसी प्रकार बहुपक्षीय स्तर पर भी हमने प्राथमिकताओं की समग्र संरचना के भीतर ही अपना सहयोग प्रदान किया है। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन अत्यधिक तेजी से होने वाले विश्वव्यापी विकास के अनुरूप हो रहा है। हमने इसकी स्थायी प्रासंगिकता के प्रति अपना विश्वास पुनः प्रकट किया है। इसके सिद्धान्त में राष्ट्रीय निर्णय लेने की स्वतंत्रता आज जितनी प्रासंगिक है उतनी पहले कभी नहीं थी। जी-15 और राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन जैसे अन्य बहुपक्षीय मंचों पर प्रधान मंत्री ने न केवल महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारे विचार व्यक्त किए बल्कि बहुपक्षीय कार्यसूची के विकास संबंधी मुद्दों की प्रधानता और महत्ता को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उरुग्वे वार्ता का दौर निर्णायक चरण में पहुंच गया है। हम अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करते रहेंगे

और एक अच्छे और संतुलित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली स्थापित करने के अपने प्रयासों में सुधार लायेंगे।

पर्यावरण संबंधी मुद्दे तेजी से अन्तर्राष्ट्रीय महत्व और ध्यानाकर्षण का केन्द्र बिन्दु बनते जा रहे हैं। हम बहुपक्षीय सहयोग के प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और विश्वव्यापी भागीदारी का समर्थन कर रहे हैं जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्याओं के समाधान में विकासशील देशों के विकास की आवश्यकताओं को समन्वित करना है।

हमारा विश्वास है कि न्यूक्लियर शस्त्रों के विश्वव्यापी प्रसार को ध्यान में रखते हुए हमें न्यूक्लियर निरस्त्रीकरण के मुद्दों के संबंध में विश्वव्यापी दृष्टिकोण अपनाना होगा। अतः सीमित न्यूक्लियर-शस्त्र मुक्त क्षेत्र जैसे अंशतः या खण्डतः किए गए उपायों की कोई उपयोगिता प्रतीत नहीं होती बल्कि ये उपाय हमारे अंतिम लक्ष्य से हमारा ध्यान विचलित कर सकते हैं।

31 जनवरी, 1992 को हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र की उस नई एवं प्रभावी भूमिका पर प्रकाश डाला गया जो उसने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के परिणामस्वरूप अदा की थी। हमारे प्रधान मंत्री ने इस सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की जैसे मानव अधिकारों के लिए और विश्व में एक न्यायसंगत एवं उचित आर्थिक व्यवस्था लाने के लिए विश्वव्यापी परमाणु अप्रसार क्षेत्र के बारे में आम सहमति बनाना और राष्ट्रीय अखण्डता की रक्षा के बारे में एकमत स्थापित करना। इस सम्मेलन में विश्व के नेताओं को संयुक्त राष्ट्र के भविष्य के बारे में विचारों का आदान-प्रदान करने और नए महासचिव को अपना समर्थन देने का संकल्प करने का अवसर प्राप्त हुआ।

भारत भविष्य की ओर तेज और उद्देश्यपूर्ण कदम बढ़ाने के लिए तैयार खड़ा है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न की जा रही हैं जिनसे विकास की गति तेज हो, हमारी जनता अच्छी जिन्दगी जी सके और भारत विश्व में तेजी से हो रहे बदलाव में अपनी पहचान बनाये रख सके। इस समय हमारे सामने चुनौतियां भी हैं और अवसर भी। आइये, हम इन चुनौतयों को अवसरों में बदल डालें। हम नये रास्ते खोजने में पीछे न रहें। आज की कठिनाइयां उज्ज्वल भविष्य की सूचक हैं। किन्तु भविष्य की ओर बढ़ते हुए हम अपने दृष्टिकोण में अनुशासन और दृढ़ता लायें। हम बातचीत के लिए उग्रता का, सौहार्द के लिए हिंसा का त्याग करें, वरना इतिहास में हमारा महत्व गौण हो जाएगा।

माननीय सदस्यगण से इस सत्र में महत्वपूर्ण विधायी कार्यों और राष्ट्रीय महत्व के बड़े कार्यों पर विचार करने की अपेक्षा की जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके विचार-विमर्श विवेकशील तथा बुद्धिमत्तापूर्ण होंगे। अब मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप अपने कार्य में जुट जायें। मैं आपके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द।

# श्री आर. वेंकटरमन